एफ.सं.ए-12018/02/2020-ईपीआई

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: नवम्बर, 2020

अधिसूचना

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप भर्ती नियमों को इनके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।

2. उक्त भर्ती नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. यदि कोई आपत्तियां और सुझाव दिए जाने हों, तो उन्हें उप निदेशक (ईपीआई), कमरा नं.758-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 के पते पर भेजा जाए और epidghs@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाए।

(आर. एस. नौटियाल)

सलाहकार (उप निदेशक)

[भारत के राजपत्र, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ,2020

सा. का. नि .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, वर्ग III पद, भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक उनका संबंध तकनीशियन समूह 'ग' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में तकनीशियन समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, तकनीशियन समूह 'ग' पद, अराजपत्रित, भर्ती नियम, 2020 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इसनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
तकनीशियन	13* (तेरह) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	18 से 27 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 अथवा समकक्ष 2. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं क्म्यूनिकेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
50% सीधी भर्ती द्वारा 50% प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में बॉयलर अटेंडेंट और आर्मेचर वाइन्डर-सह-वेल्डर जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी(एसएजी), केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, 4. सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य। पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी(एसएजी), केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य, 4. सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य।	लागू नहीं है।

(जी. के. पिल्लई)
अवर सचिव, भारत सरकार